

## अध्याय VI: धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूटों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

### 6.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11, 12 और 13 के प्रावधानों का निर्वाह करने के विषयाधीन धारा 2(15) में परिभाषित धर्मार्थ या धार्मिक कार्यकलापों में लगे ट्रस्टों, संस्थानों और अन्य संगठनों को कर छूट का प्रावधान करता है। आयकर विभाग (आईटीडी) इन कर छूट प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

पहले, हमने निष्पादन लेखापरीक्षा में कर छूट योजना की कार्यप्रणाली की जांच की थी और जांच परिणामों को 2013 की सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 20 (धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को छूट) में शामिल किया गया था। इस प्रतिवेदन में कुछ गलतियों को दर्शाया गया था जैसे (क) पर्याप्त दस्तावेजों के बिना अनुमोदन देना/पंजीकरण करना; (ख) लगातार बड़ा अधिशेष सृजित करने वाले ट्रस्टों को अनियमित छूट; (ग) निषिद्ध तरीके से निवेश करने पर आय का उपयोग; (घ) ट्रस्टों को प्राप्त विदेशी अंशदानों की मॉनिटरिंग न करना आदि।

जुलाई 2018 में लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 104वीं रिपोर्ट में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की टिप्पणियों/सिफारिशों पर उनकी 27वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में शामिल “धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं को छूट” पर समिति ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों को व्यवसायिक लाभ के लिए वाणिज्यिक तौर पर चलाने का काम लिया गया और आयकर अधिनियम के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन किया गया था। समिति ने आयकर विभाग के सभी उल्लंघनों और निगरानी की विफलता की गंभीर प्रकृति पर चिंतित था कि क्या ट्रस्ट उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके तहत वे स्थापित किए गए हैं और यह भी सुनिश्चित करें कि इस तरह के ट्रस्टों द्वारा प्राप्त रियायत का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है।

समिति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भी सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों के उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और भविष्य में इस तरह के पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों के बारे में सिफारिशें करने को अभिलाषित किया है। इस संबंध में, धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं से संबंधित डाटा/सूचना के लिए अक्टूबर 2018 में सीबीडीटी से अनुरोध किया गया था। अप्रैल 2019 में छह महीने बाद ही डाटा प्राप्त हुआ था और यह प्रयोग करने योग्य नहीं था। इसलिए सीबीडीटी को 22 अप्रैल 2019 को संशोधित डाटा सेट देने को कहा

गया था। यह जानकारी अभी नहीं मिली है। सीबीडीटी द्वारा संपूर्ण तथा प्रयोग करने योग्य डाटा प्राप्त होने के बाद पैन इंडिया निष्पादन लेखापरीक्षा की जाएगी। इस दौरान, सीएजी की 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 (धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को छूट) में निहित धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं को छूट की सीमित अनुवर्ती लेखापरीक्षा किया गया था; साथ ही साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुपालन लेखापरीक्षा में धर्मार्थ न्यासों से संबंधित ऑडिट मुद्दों को देखा गया।

## 6.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस सीमित लेखापरीक्षा में भी, हमने ₹ 723.43 करोड़ के कर प्रभाव की 99 अनियमितताएं पाईं। लेखापरीक्षा में पाई गई कुछ अनियमितताएं निम्नानुसार हैं (क) संबंधित ग्रुप ट्रस्टों/संस्थाओं को आय/संपत्ति के विपथन को आय का उपयोग मानना; (ख) उन निर्धारितियों को छूट दी गईं जिनकी गतिविधियाँ धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थी; (ग) अधिनियम में निर्दिष्ट उन प्रारूपों या स्वरूपों के अलावा ट्रस्टों द्वारा संचित धन के निवेश की निगरानी का अभाव; (घ) निर्धारित को छूट प्रदान की जहां विदेशी मुद्रा दान सहित स्वैच्छिक योगदान को दाता के विशिष्ट निर्देश के बिना कॉर्पस कोष के रूप में माना गया था; और (ङ) पंजीकरण रद्द नहीं करना जहां ट्रस्ट और संस्थानों की गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं। ये निष्कर्ष पूर्ववत् 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 20 में भी शामिल की गई थी, इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होती रही और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अननुपालन के बावजूद भी गलत छूट प्रदान की जाती रही। इसके अतिरिक्त हमें निम्नानुसार त्रुटियां भी पाईं: (क) व्यय और संचय की अनुमति जहां छूट से मना किया गया था; (ख) विदेशी विश्वविद्यालयों को दी गई निधियों के उपयोग पर ट्रस्ट को छूट अनुमत; और (ग) निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) का अधिभार उद्ग्रहण करने में विफलता। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

## 6.3 संबंधित ग्रुप ट्रस्टों/संस्थाओं को आय/संपत्ति के विपथन को आय का उपयोग मानना

धारा 10(23सी)(vi) में प्रावधान है कि किसी लाभ उद्देश्य हेतु नहीं बल्कि एक मात्र शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए विद्यमान किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान की आय में छूट तभी दी जाएगी जब संस्थान ने इसके आय

का उपयोग या इसका संचय उस उद्देश्य हेतु उपयोग के लिए पूर्ण रूप से और विशेष रूप से किया हो जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है।

इसके अलावा, वि.व. 2014-15 के लिए धारा 10(23)(सी)(vi) के परन्तुक 12 में प्रावधान है कि जहां निधि या ट्रस्ट या संस्थान प्राप्त वर्ष के दौरान इसकी आय का उपयोग नहीं करता और इसका संचय कर लेता है तो ऐसे संचय में से धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकृत किसी ट्रस्ट या संस्थान या धारा 10(23)(सी)(iv) से (viए) के अंतर्गत संदर्भित संस्थान को किए गए किसी भुगतान या क्रेडिट को उन उद्देश्यों हेतु आय का उपयोग नहीं माना जाएगा जिसके लिए इन निधियों या ट्रस्टों या संस्थानों, जैसे भी मामला हो, की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि ट्रस्ट के अंतर्गत धारित संपत्ति से प्राप्त आय की छूट तभी मिलेगी यदि इसे अधिनियम के अनुसार धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य हेतु उपयोग या संचित किया गया हो।

अधिनियम की धारा 13(1)(सी)(ii) में प्रावधान है कि धारा 11 अथवा 12 के अंतर्गत धर्मार्थ न्यासों या संस्थाओं को छूट उपलब्ध नहीं होगी यदि न्यास की कोई आय या सम्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारा 13(3) में संदर्भित किसी विशेष व्यक्ति के लाभ के लिए लागू होती हैं। धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति न्यास का ऑथर अथवा संस्थान का फाउंडर हो; कोई व्यक्ति जिसने न्यास या संस्थान को 50,000 रूपए से अधिक राशि का अंशदान दिया हो; जहां ऐसा ऑथर, फाउंडर या व्यक्ति एक हिन्दु अविभाजित कुटुम्ब हो; न्यास का कोई ट्रस्टी या मैनेजर हो; किसी ऐसे ऑथर, फाउंडर, पर्याप्त अंशदान करने वाले व्यक्ति, सदस्य, ट्रस्टी या मैनेजर का कोई रिश्तेदार हो।

लेखापरीक्षा ने पुणे तथा मुंबई प्रभागों में ₹ 60.41 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों देखे जहां संस्थानों की आय/संपत्ति का संबंधित ग्रुप ट्रस्ट को विपथन किया गया था और जहां इस विपथन को आय का उपयोग माना गया था। ऐसे दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

**6.3.1 पीसीआईटी (ई), पुणे प्रभाग में नि.व. 2015-16 के लिए एक ट्रस्ट का संवीक्षा निर्धारण, धारा 10(23सी)(vi) के अंतर्गत छूट की अनुमति के पश्चात ₹ 54.50 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए दिसम्बर 2017 में पूरा हुआ था।** लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि शैक्षणिक कार्यकलाप करने वाले निर्धारिती ने ₹ 115.65 करोड़ की आय में से ₹ 80.00 करोड़ इसके संबंधित ट्रस्टों में से एक को दान कर दिए थे जिसे आय का उपयोग माना गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, संबंधित पार्टी को किए गए ₹ 80.00 करोड़ के दान को शिक्षा उद्देश्यों हेतु आय का उपयोग नहीं माना जा सकता। इस प्रकार इस पर

कर लगाया जाना चाहिए। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 27.19 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 80.00 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

**6.3.2** सीआईटी (ई), मुंबई प्रभार में नि.व 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट का संवीक्षा निर्धारण धारा 11 के अंतर्गत छूट अनुमति के बाद अक्टूबर 2016 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने एक कंपनी को स्कूल परिसर के किराए के प्रति ₹ 27.48 करोड़ की राशि का भुगतान किया था जहां ट्रस्ट का ऑथर-कम-ट्रस्टी, महानिदेशक था। पट्टा करार के अनुसार, ट्रस्ट को ₹ 7.33 करोड़ (₹ 20 प्रति वर्ग फीट की दर से गणना की गई) निर्धारित पट्टा किराए का भुगतान या ट्रस्ट की कुल प्राप्तियों का 85 प्रतिशत तक स्लैब वार विशुद्ध राजस्व के आधार पर अपेक्षित था, जो भी अधिक हो। ट्रस्ट के वार्षिक कुल संग्रह के आधार पर स्लैब पर 85 प्रतिशत की गणना की जानी थी।

यद्यपि निर्धारिती ने धारा 10(23सी)(vi) के तहत लाभ का दावा किया है, एओ ने आय की गणना में धारा 11 के प्रावधानों को लागू करने वाले मामले में आय का आंकलन किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि निर्धारिती अपने आय और व्यय लेखा में ₹ 10.92 करोड़ का घाटा दिखा रहा है, घाटा, मूल रूप से ऊपर बताए गए, आय और व्यय लेखा पर लगाए गए अतिरिक्त किराए के कारण है। अगर स्कूल द्वारा इस्तेमाल किए गए क्षेत्र के आधार पर तय दर से किराया का भुगतान किया होता, तो निर्धारिती केवल ₹ 7.33 करोड़ का भुगतान कर रहा होता और निर्धारिती को ट्रस्ट के उपयोग हेतु ट्रस्ट के लिए प्रयाप्त अधिशेष अर्जित हुआ होता। तथापि, यह देखा जा सकता है कि जहां ट्रस्टी प्रबंध निदेशक है, अधिनियम में परिकल्पित के अनुसार ट्रस्ट की वस्तु के लिए ट्रस्ट अपने उद्देश्यों के लिए आय को संचित करने के बजाय कंपनी को किराए की आड़ में उस कंपनी जिसमें ट्रस्टी प्रबंध निदेशक है को किराये के भुगतान के रूप में अर्जित अधिशेष अपवर्ती किया गया था। अतः, निर्धारिती ने धारा 10(23सी)(vi) और धारा 13(1)(सी)(ii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस प्रकार धारा 11 के अन्तर्गत ₹ 72.41 करोड़ की पूरी आय पर छूट को मना किया जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 24.61 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 72.41 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

विभाग ने, लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं करते हुए, जवाब में कहा कि धारा 13(1)(सी)(ii) के प्रावधानों निर्धारिती पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 11 के तहत नहीं अपितु धारा 10 (23सी) के तहत छूट का दावा किया था। विभाग ने यह भी कहा कि निर्धारिती ने अधिनियम की

धारा 10(23सी) के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया और निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया किराया उचित और पूरी तरह एवं अनन्य रूप से ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए लागू होता है।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है। धारा 10(23सी) के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से और अनन्य रूप से ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए अपनी आय या इसके संचयों का उपयोग करेगा। इस मामले में, किराए के समझौते को इस तरह से तैयार किया गया था कि संस्थान द्वारा देय किराया निर्धारिती की आय में वृद्धि की तुलना में बढ़ा है। इस प्रकार, आय के संचय के बजाय यह उस कंपनी को विपथित किया गया जिसमें ऑथर-कम-ट्रस्टी प्रबंध निदेशक होता है, जो धारा 10(23सी) के तीसरे परंतुक के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। किराया प्रपत्र इस तरीके से तैयार किया गया था कि लाभ उस कम्पनी को हो, जहां ट्रस्ट का ऑथर-कम-ट्रस्टी प्रबन्ध निदेशक हो।

यद्यपि निर्धारिती ने धारा 10(23सी) के तहत छूट का दावा किया, विभाग ने अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के तहत निर्धारण पूरा किया। विभाग को यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि उक्त मामले में कौन सी धारा लागू है। निर्धारिती किसी भी स्थिति में अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है।

#### **6.4 उन निर्धारितियों को छूट दी गई जिनकी गतिविधियाँ धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थी**

अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय, कुल आय में शामिल नहीं होगी, यदि इसे धारा 11, 12 और 13 के प्रावधान के अनुसार भारत में धर्मार्थ उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था। इसके अलावा, वित्त अधिनियम 2010 और 2015 द्वारा संशोधित धारा 2(15) बताती है कि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु की उन्नति धर्मार्थ उद्देश्य के लिए नहीं होगी, यदि

- (i) इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यापार की प्रकृति में कोई भी गतिविधि को शामिल करना, या प्रतिफल के लिए किसी भी सेवा को प्रस्तुत करने की कोई गतिविधि भले ही प्रयोग या उपयोग की प्रकृति के बावजूद, या ऐसे गतिविधि से आय का प्रतिधारण और
- (ii) ऐसे कार्यकलाप से कुल प्राप्तियाँ ₹ 25 लाख से अधिक (1.4.2016 में कुल प्राप्तियों का 20 प्रतिशत) है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटीडी ने मुम्बई और पुणे प्रभार के दो मामलों में ₹ 12.23 करोड़ के कर प्रभाव में छूट प्रदान की, जहां निर्धारिती की गतिविधियां धारा 2(15) के अनुसार धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थी। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है।

**6.4.1 पीसीआईटी (ई) पुणे प्रभार में, नि.व. 2013-14 के लिए एक ट्रस्ट की संवीक्षा निर्धारण मार्च 2016 में पूरा हुआ था, जिसमें धारा 11 के तहत ₹ 16.21 करोड़ की कटौती की अनुमति के बाद ₹ 57.75 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया था।** लेखापरीक्षा जांच में पता चला है कि निर्धारिती सम्पत्तियों की प्रतिभूति प्रदान करने में लगे हुए हैं, पट्टे के आधार पर प्लॉट दे रहे हैं, प्रतिफल पर पट्टे के लिए प्रतिफल आवासीय कॉलोनियों, दुकानों और वाणिज्यिक परिसरों आदि का निर्माण कर रहे हैं जो एक के लिए व्यापार, वाणिज्य या व्यावसाय के समान है। इसके अलावा, लाभ और हानि लेखा और आय की गणना से यह भी देखा गया है कि इस तरह की गतिविधियों से सकल प्राप्त धर्मार्थ गतिविधियों के लिए ₹ 25 लाख की स्वीकार्य सीमा से अधिक है। अतः धारा 2(15) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संस्थान की गतिविधियों धर्मार्थ उद्देश्य की परिभाषा से अलग है और इसलिए निर्धारिती धारा 11 के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5.01 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 16.21 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था।

#### **6.5 व्यय और संचय की अनुमति जहां छूट से मना किया गया था**

अधिनियम की धारा 11, ट्रस्ट के तहत रखी गई सम्पत्ति से प्राप्त आय में छूट का प्रावधान करती है, यदि यह आय अधिनियम के अनुसार धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग या संचय किया गया हो। इसके अलावा, धारा 164(2) यह प्रावधान करती है कि यदि धारा 11 के तहत छूट से मना किया जाता है तो ट्रस्ट की ऐसी आय अधिकतम मार्जिनल दर पर कर लगाया जाएगा। धारा 12ए के तहत पंजीकृत ट्रस्टों और संस्थाओं के लिए धारा 11, 12 और 13 के प्रावधान केवल आय निर्धारण के लिए लागू होते हैं। ये धाराएँ व्यय में कटौती के लिए प्रावधान नहीं करती हैं, लेकिन पूरी आय को छूट के रूप अनुमति देते हैं बशर्ते संबंधित धाराओं के प्रावधानों का पालन किया गया हो।

लेखापरीक्षा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 मामलों में देखा कि आयकर विभाग ने धारा 11 के तहत छूट के लिए मना कर दिया था लेकिन ₹ 108.29 करोड़

के कर प्रभाव के ₹ 322.42 करोड़ के व्यय के लिए कटौतियों की अनुमति दी गई थी। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है।

**6.5.1** सीआईटी(ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट की संवीक्षा निर्धारण दिसम्बर 2016 में पूरी हुई थी। एओ ने धारा 11 के तहत छूट से मना किया है। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि कुल आय की गणना करते समय ₹ 70.82 करोड़ के व्यय की अनुमति दी गई थी। चूंकि अस्वीकृत आय से खर्च की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पूरी आय पर कर लगाया जाना चाहिए। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 24.07 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 70.82 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

वस्तुतः, एक अन्य निर्धारिती (नि.व. 2014-15) के मामले में स्वयं आयकर विभाग ने दिसम्बर 2016 में धारा 143(3) के तहत पूरे किये गए एक निर्धारण में धारा 11 के तहत छूट से मना कर दिया था और कुल आय की संगणना में किसी भी व्यय की अनुमति नहीं दी। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था।

## **6.6 अधिनियम में निर्दिष्ट उन प्रारूपों या स्वरूपों के अलावा ट्रस्टों द्वारा संचित धन के निवेश की निगरानी का अभाव**

अधिनियम की धारा 11(1)(ए) में प्रावधान है कि (i) धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय कुल आय में शामिल नहीं होगी, यदि यह भारत में धर्मार्थ उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था और (ii) जहां भारत में इस तरह के उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए कोई भी आय संचित है या अलग से रख दी गई है जिस हद तक कि आय इतनी जमा हुई या अलग रखी गई, वह ऐसी संपत्ति से होने वाली आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। धारा 11(5) निर्धारित करती है कि धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा संचय या अलग रखे धन को निवेश या जमा करने के प्रारूपों और स्वरूपों में सरकारी बचत प्रमाणपत्रों में निवेश, डाकघर बचत बैंक/अनुसूचित बैंक के साथ किसी भी खाते में जमा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इकाईयों में निवेश, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रतिभूतियों में निवेश, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आदि के द्वारा जारी किए गए बाँडों में निवेश या जमा होंगे।

अधिनियम की धारा 13(1) प्रावधान करती है कि धारा 11 या 12 के तहत धर्मार्थ ट्रस्टों या संस्थाओं को छूट उपलब्ध नहीं होगी यदि ट्रस्ट की किसी आय या सम्पत्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धारा 13(3) में संदर्भित किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लाभ के लिए लागू है। धारा 13(3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति ट्रस्ट का ऑथर या संस्थान का संस्थापक है, कोई भी व्यक्ति जिसने

₹ 50,000 से अधिक राशि का ट्रस्ट या संस्थान में पर्याप्त योगदान दिया है, जहां ऐसा आँथर, संस्थापक या व्यक्ति एचयूएफ है, किसी भी ट्रस्ट का ट्रस्टी या प्रबंधक, ऐसे किसी आँथर, संस्थापक, पर्याप्त योगदानकर्ता, सदस्य, ट्रस्टी या प्रबंधक का कोई रिश्तेदार है। धारा 13(1)(डी)(i) निर्धारित करती है कि धारा 11 या 12 के तहत छूट तब लागू नहीं होती जब 30 नवम्बर 1983 के बाद धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट किसी भी एक या एक से अधिक प्रारूपों या स्वरूपों के अलावा ट्रस्ट के किसी भी निधि का निवेश या जमा किया जाता है या निवेशित या जमा रहता है। धारा 13(1)(डी)(iii) धर्मार्थ ट्रस्ट को छूट की उपलब्धता नहीं करने के लिए भी प्रावधान करता है यदि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के शेयरों की बजाय किसी कम्पनी के शेयर या धारा 11(5) के तहत प्रारूप या स्वरूप के साधन के रूप में निर्धारित शेयरों को 30 नवम्बर 1983 के बाद ट्रस्ट या संस्थान द्वारा धारित किया गया है।

इसके अलावा, धारा 12ए(4) 01.10.2004 से शामिल किया है, यह निर्धारित करता है कि यदि ट्रस्टों की गतिविधियों को इस तरह से संचालित किया जा रहा है कि धारा 11 और 12 के प्रावधान धारा 13(1) परिचालन के कारण ऐसे ट्रस्ट या संस्थान की आय के पूरे या किसी भी हिस्से को बाहर करने के लिए लागू नहीं होते हैं तब, प्रधान आयुक्त या आयुक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा इस तरह के ट्रस्ट या संस्थान के पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं।

**6.6.1** सीआईटी(छूट), मुम्बई प्रभार में, लेखापरीक्षा ने देखा कि नि.व. 2009-10 से 2014-15 के दौरान चार ट्रस्टों ने ₹ 4034.95 करोड़ का निवेश किया और एक ट्रस्ट ने अपनी समूह की कंपनियों के शेयरों में नि.व. 2012-13 में ₹ 2.02 करोड़ का निवेश किया, जो धारा 11(5) के साथ पठित धारा 13(1)(डी)(iii) के तहत एक निषिद्ध प्रणाली है। आयकर विभाग ने धारा 11 के तहत चार ट्रस्टों में छूट के निर्धारित के दावों को अस्वीकृत कर दिया। हालाँकि नि.व. 2012-13 के लिए ट्रस्ट के एक अन्य मामलों में, आयकर विभाग ने छूट को अस्वीकृत नहीं किया।

यह तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन ट्रस्टों ने साल-दर-साल निवेश को संचालित करने वाले नियमों का उल्लंघन करना जारी रखा है और इसके साथ ही चूँकि एओ इस अनियमितता की जांच करने के लिए कदम उठाए बिना साल-दर-साल छूट को अस्वीकृत कर रहा है, इन निर्धारितियों को दिए गए धारा 12ए के तहत पंजीकरण की निरन्तरता की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी त्रुटियाँ चूक

अथवा भूल की थी। यदि ये त्रुटियां भूल की थी तो कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

**6.6.2** धारा 13(1)(डी)(iii) के परंतुक (i) और (iए) के अनुसार धारा 13(1)(डी)(iii) के प्रावधान ट्रस्ट द्वारा रखी गई किसी सम्पत्ति पर लागू नहीं होगी, जहां इस तरह की संपत्ति 1.6.1973 को ट्रस्ट के कॉर्पस का हिस्सा बनती है या शेयरों में किसी भी अभिवृद्धि, ट्रस्ट को आवांठित बोनस शेयरों के माध्यम से कॉर्पस का हिस्सा बनता है।

सीआईटी (ई), मुम्बई प्रभार में, तीन ट्रस्टों ने धारा 11(5) के तहत निर्धारित माध्यमों के अलावा अन्य माध्यमों में निवेश जारी रखा। इन ट्रस्टों ने समूह कंपनी में 31.3.2014 को सामूहिक रूप से 55.55 प्रतिशत (₹ 76.90 लाख मूल्य के 2,24,478 शेयर) रखे थे जो जून 1973 से पहले निवेश किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि निवेश इन ट्रस्टों के कॉर्पस/आय में 1.6.1973 को उससे पहले किए गए थे।

धर्मार्थ उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करने के बजाय समूह कंपनी की बहुसंख्यक हिस्सेदारी रखकर समूह कंपनियों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ट्रस्टों के कॉर्पस कोष का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए, 1.6.1973 से पहले ऐसे ट्रस्टों द्वारा निवेश के लिए छूट के प्रावधानों की निरंतरता की समीक्षा की जानी चाहिए। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

## **6.7 विदेशी विश्वविद्यालयों को दी गई निधियों के उपयोग पर ट्रस्ट को छूट अनुमत**

धारा 11(1)(सी) धर्मार्थ उद्देश्य के लिए 1 अप्रैल 1952 को या उसके बाद निर्मित ट्रस्टों को छूट प्रदान करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देता है जिसमें भारत रुचि रखता है, भारत के बाहर इस तरह के उद्देश्य के लिए ऐसी आय को किस हद तक लागू किया जाता है बशर्ते कि बोर्ड ने सामान्य या विशेष आदेश से यह निर्देश दिया हो कि वह इस तरह की आय की प्राप्ति को व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं करेगा।

सीआईटी (ई), मुम्बई प्रभार में, ट्रस्ट के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि नि.व. 2009-10 से 2014-15 के दौरान ट्रस्ट (जुलाई 2008 में स्थापित) ने दो विदेशी विश्वविद्यालयों को ₹ 430.03 करोड़ के समतुल्य, दान कोष के निर्माण के लिए ₹ 232.89 करोड़ और परिसर में एक इमारत के अक्षयनिधि के लिए ₹ 197.14 करोड़ का दान दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीबीडीटी ने आरंभ में मई 2010 में छूट हेतु ट्रस्ट के दावे को यह कहते हुए अस्वीकृत किया था (जून 2014) कि “ट्रस्ट का प्रस्तावित कार्य “अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण जिसमें भारत रुचि रखता है”, को बढ़ावा देना नहीं है तथा अधिनियम की धारा 11(1)(सी) के प्रयोजन हेतु इसे नहीं माना जाता”। लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि निर्धारित छूट के लिए दावे के रद्द होने के निर्णय से असंतुष्ट था। इसके बाद, सीबीडीटी ने अपना पहले का आदेश वापस लिया और 100 मिलियन डालर की राशि के लिए नि.व. 2009-10 से 2016-17 तक पूर्ण व्यापी ढंग से विदेशी दान पर ट्रस्ट को छूट की अनुमति देने वाला एक अन्य आदेश (नवम्बर 2015) जारी किया। सीबीडीटी के आदेश के बाद, नि.व. 2009-10 के बाद से ऐसे विदेशी अनुदानों के संबंध में ट्रस्ट को छूट की अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीबीडीटी के आदेश के आधार पर दी गई छूट निम्नलिखित कारणों से अनियमित है।

- (i) पहले रद्द किए गए आदेश को वापस लेना गलत है क्योंकि बोर्ड के पास अपने पहले के रद्द हुए आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। सीबीडीटी ने अपनी टिप्पणी में खुद कानून मंत्रालय द्वारा एक अन्य मामले में दिये स्पष्टीकरण के तथ्य को सामने रखा है;

*“यह सुव्यवस्थित कानून है कि समीक्षा करने का अधिकार एक निहित अधिकार नहीं है। यह कानून द्वारा प्रदत्त किया जाना चाहिए कि क्या विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ है (कुछ उच्च न्यायालय इस विचार के हैं कि केवल अदालतों के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने की अंतर्निहित शक्ति है)। चूंकि अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है जो यह दर्शाता है कि निर्धारित प्राधिकारी को अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है, इसलिए यह माना जाता है कि निर्धारित प्राधिकारी अपने पहले के आदेश की समीक्षा के अधिकार का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है।”*

*उपरोक्त दृष्टिकोण को ऐसे सभी पुनर्विचार के अनुरोधों में सीबीडीटी द्वारा लगातार अपनाया गया है।*

- (ii) सीबीडीटी के द्वारा धारा 11(1)(सी) के तहत दिनांक 10 नवम्बर 2015 को आदेश पारित किए जाने के बाद, विभिन्न नि.व. के लिए, छूट प्रदान करने में एओ द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण तर्कसंगत नहीं था। नि.व. 2009-10 के लिए, मार्च 2016 में धारा 147 के

साथ पठित धारा 143(3) के तहत आदेश पारित करके एओ द्वारा छूट प्रदान की गई थी। नि.व. 2011-12 और नि.व. 2012-13 के लिए दिसम्बर 2015 में धारा 154 के तहत एओ द्वारा छूट प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त नि.व. 2011-12 और 2012-13 के लिए धारा 154 के तहत निर्धारण को फिर से खोलने हेतु, अभिलेखों में त्रुटियों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी चूंकि सीबीडीटी का आदेश निर्धारण आदेशों को पारित करने के बाद जारी किया गया था, इसे रिकॉर्ड से प्रतीत त्रुटि के रूप में नहीं माना जा सकता है।

तथ्य को देखते हुए कि सीबीडीटी के पास निर्धारिती के दावे को रद्द करने के उसके स्वयं के पूर्व आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है, सीबीडीटी द्वारा भारत से बाहर उपयोग की गई आय पर दी गई छूट सही नहीं थी। सीबीडीटी द्वारा पारित आदेश के कारण ₹ 135.62 करोड़ का कर प्रभाव हुआ।

**6.8 निर्धारिती को छूट प्रदान की जहां विदेशी मुद्रा दान सहित स्वैच्छिक योगदान को दाता के विशिष्ट निर्देश के बिना कॉर्पस कोष के रूप में माना गया था।**

धारा 11(1)(डी) में यह प्रावधान है कि दान को कॉर्पस दान रूप में तभी माना जा सकता है, केवल जब दानकर्ता इसे कॉर्पस का भाग बनाने के लिए विशिष्ट निर्देश देता है और इस तरह के दान को ट्रस्ट की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

सीआईटी(ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट की संवीक्षा निर्धारण नवम्बर 2016 में पूरी हुई, जिसमें धारा 11 के तहत ₹ 75.45 करोड़ की अनुमत की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि ट्रस्ट ने ₹ 13.89 करोड़ विदेश मुद्रा दान सहित ₹ 39.14 करोड़ का कॉर्पस प्राप्त किया। हालाँकि, अपेक्षित दानदाताओं के विवरण के साथ-साथ कॉर्पस दान की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए विदेशी मुद्रा में प्राप्त दान पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत रिपोर्ट भी अभिलेखों में नहीं पायी गई। इसलिए, इसे कॉर्पस का हिस्सा बनाने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि विदेशी मुद्रा दान के स्रोत का पता नहीं था, आयकर विभाग को राउंड ट्रिपिंग की संभावनाओं को रोकने के लिए इसकी जांच करना आवश्यक है।

धारा 11(1)(डी) के प्रावधान के अनुसार दानकर्ता के विशिष्ट निर्देश के साथ राशि को कॉर्पस में लिया जा सकता है। इस मामले में इस प्रकार के निर्देश के

अभाव में इस राशि को वर्ष की आय रूप में लिया जाना चाहिए। अतः वर्ष के दौरान अर्जित ₹ 38.76 करोड़ के पूरे अधिशेष को कर के लिए प्रभारित किया जाना चाहिए था क्योंकि निर्धारिती द्वारा धारा 11(2) के तहत संचय की मांग नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.17 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

### 6.9 पंजीकरण रद्द नहीं करना जहां ट्रस्ट और संस्थानों की गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं

धारा 11(2) में यह प्रावधान है कि जहां आय का 85 प्रतिशत उपयोग नहीं किया जाता है या धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं माना जाता है परंतु संचित है या अलग रखी गई है, इस तरह की आय जो संचित या अलग से रखी गई है, को कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा बशर्ते ऐसा व्यक्ति एओ को उस उद्देश्य को बताते हुए निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तरीके से विवरण प्रस्तुत करता है जिसके लिए आय संचित की जा रही है या अलग रखी जा रही है और इस तरह के संचय की अवधि है। धारा 12एए(3) सीआईटी को पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देती है, यदि वह संतुष्ट है कि ट्रस्ट की गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं या ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां नहीं चलाई जाती हैं। इसके अलावा, 1.10.2014 से धारा 12एए(4), पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान करती है यदि ट्रस्ट या संस्था की गतिविधियों को इस तरीके से चलाया जाता है कि धारा 11 और 12 के प्रावधान धारा 13 की उप-धारा (i) के परिचालन के कारण ऐसे ट्रस्ट या संस्थान की संपूर्ण या आंशिक आय को अलग करने में प्रयोग नहीं होते हैं। इसके अलावा, वित्त अधिनियम 2010 और 2015 की संशोधित धारा 2(15) प्रावधान करती है कि सामान्य जनोपयोगी किसी भी अन्य वस्तु की उन्नति एक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए नहीं होगी, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की किसी भी गतिविधि को शामिल करना है, किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में किसी भी सेवा को प्रदान करने की कोई गतिविधि, एक उपकर या शुल्क या किसी अन्य मुआवजा के लिए, इस तरह की गतिविधि से आय के उपयोग या आवेदन या प्रतिधारण की प्रकृति के बावजूद और पिछले वर्ष के दौरान ऐसी गतिविधि या गतिविधियों से कुल प्राप्तियां, ऐसी गतिविधि या गतिविधियों से ₹ 25 लाख (1.4.2016 से कुल प्राप्तियों का 20 प्रतिशत) से अधिक हो।

6.9.1 सीआईटी (ई), मुम्बई प्रभार में, 15 मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि नि.व. 2009-10 से धारा 2(15) के संशोधन के कारण, आयकर विभाग ने निर्धारणों के समय, देखा कि ऐसे ट्रस्टों की गतिविधियों को धारा 2(15) के

साथ पठित धारा 11(2) के उल्लंघन के कारण गैर-धर्मार्थ माना गया था और उन्हें अधिनियम के उद्देश्य के लिए वैध ट्रस्टों के रूप में नहीं माना गया था। आयकर विभाग ने ऐसे तीन ट्रस्टों का पंजीकरण रद्द कर दिया। चूंकि, इन ट्रस्टों ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट के चरित्र को खो दिया, इसलिए धर्मार्थ उद्देश्य पर भविष्य के उपयोग के लिए धारा 11(2) के तहत संचित या अलग आय पर कर लगाया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ब्यौरों के अभाव में इन ट्रस्टों के इस तरह के संचय का पता नहीं लगा सका और यह भी कि क्या विभाग ने इस तरह के संचय को रद्द करने पर कर लगाया था। आयकर विभाग को उन ट्रस्टों के संबंध में कर लगाने पर की गई कार्रवाई के विषय में स्पष्ट करने के लिए कहा गया जहां पंजीकरण रद्द किया गया था। उत्तर प्रतिक्षित है।

शेष 12 मामलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि विभाग ने अधिनियम के उद्देश्य के लिए इन ट्रस्टों की गतिविधियों को गैर धर्मार्थ माना है तथापि, इन ट्रस्टों के पंजीकरण को धारा 12ए के तहत रद्द नहीं किया गया था। इसलिए इन संस्थाओं के पंजीकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता है और यदि उचित माना जाए तो छूट प्राप्त आय से संचित निधि को कर में लाया जा सकता है।

**6.9.2** सीआईटी (ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट का संवीक्षा निर्धारण नवम्बर 2016 में धारा 11(2) के तहत ₹ 11.38 करोड़ की छूट देने के बाद पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने चैरिटी के लिए ₹ 17.95 करोड़ की प्राप्तियों के प्रतिकूल ₹ 1.91 करोड़ (अर्थात् 10.64 प्रतिशत) प्रयोग किया। यह संचय ₹ 21.23 करोड़ के कॉर्पस कोष के अतिरिक्त है। लेखापरीक्षा ने आगे नि.व. 2012-13 एवं नि.व. 2013-14 के निर्धारण रिकॉर्ड से यह भी देखा कि ट्रस्ट ने चैरिटी के लिए ₹ 11.58 करोड़ और ₹ 14.68 करोड़ की प्राप्तियों के संबंध में क्रमशः ₹ 3.69 करोड़ (अर्थात् 31.86 प्रतिशत) और ₹ 1.64 करोड़ (अर्थात् 11.17 प्रतिशत) ही उपयोग किया है। यह संचय नि.व. 2012-13 और नि.व. 2013-14 के दौरान प्राप्त क्रमशः ₹ 15.06 करोड़ और ₹ 18.10 करोड़ के कॉर्पस कोष के अतिरिक्त है। इससे पता चलता है कि ट्रस्ट चैरिटी के लिए आय का उपयोग नहीं कर रहे थे और संचय के प्रावधान का दुरुपयोग करके इसे संचित कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों से चैरिटी के लिए थोड़ा उपयोग किया जाना यह दर्शाता है कि निर्धारिती का चैरिटी करने के लिए कोई उद्देश्य या योजना नहीं है। चूंकि, ट्रस्ट चैरिटी हेतु आय के उपयोग के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रही है, इसलिए धारा 12ए के तहत ट्रस्ट के पंजीकरण की निरंतरता की समीक्षा की जानी आवश्यक है। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था।

## 6.10 निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) का अधिभार उद्ग्रहण करने में विफलता

वित्त अधिनियम, 2014 ने एसोसियेशन ऑफ परसन की कर योग्य आय पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया था, यदि आय ₹ 1.00 करोड़ से अधिक है। लेखापरीक्षा में ट्रस्ट के 33 मामलों में पाया गया कि, ₹ 1.00 करोड़ से अधिक की आय होने पर भी अधिभार नहीं लगाया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप उपकर सहित ₹ 212.38 करोड़ का अधिभार नहीं लगाया गया। ऐसे दो मामले नीचे दर्शाए गए हैं:

**6.10.1** सीआईटी(ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट का निर्धारण ₹ 1,894.92 करोड़ में किया गया था। आयकर गणना फॉर्म से पता चला कि आयकर विभाग प्रणाली (एएसटी) उपकर सहित ₹ 58.55 करोड़ का अधिभार लगाने में विफल रही। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

**6.10.2** सीआईटी(ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए ट्रस्ट का निर्धारण ₹ 893.24 करोड़ में किया गया था। आयकर गणना फॉर्म से पता चला कि आयकर विभाग प्रणाली उपकर सहित ₹ 27.60 करोड़ के अधिभार का उद्ग्रहण करने में विफल रही। मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित था।

जैसा कि हमने ट्रस्टों से संबंधित निर्धारण के मामलों की सीमित संख्या में देखा, आयकर विभाग को उन तिथियों का पता लगाने की आवश्यकता है जिनके बीच प्रणाली द्वारा अधिभार लगाया जाने वाला था और उन सभी निर्धारितियों की पहचान करने के लिए जिनके द्वारा उस अवधि के दौरान अधिभार का भुगतान नहीं किया गया था और उसकी वसूली के लिए कार्रवाई की गई थी।

## 6.11 निर्धारणों में अनियमिततायें

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत, निर्धारण अधिकारी को संवीक्षा निर्धारण में निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना है और उसके द्वारा भुगतान योग्य राशि का निर्धारण करने या इस तरह के निर्धारण के आधार पर उसे वापस करने की आवश्यकता है। सीबीडीटी ने समय-समय पर इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं।

हमने ₹ 181.33 करोड़ के कर प्रभाव वाले हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 23 मामलों में ट्रस्टों/संस्थानों को छूट की अनुमति देते समय निर्धारण में अनियमितताओं को देखा। पांच ऐसे मामले नीचे दर्शाए गए हैं।

**6.11.1** सीआईटी(ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट में निर्धारण अधिकारी ने छूट के लिए निर्धारिती के दावे को मना किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा, में पता चला कि कुल आय की गणना करते समय निर्धारण

अधिकारी ने गलती से धारा 10(23सी)(iv) के तहत ₹ 125.57 करोड़ की सीमा तक छूट की अनुमति दी। गलती से ₹ 42.66 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 125.57 करोड़ की आय के कम निर्धारण का परिणाम है। जवाब में (फरवरी 2018) विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया। मंत्रालय का प्रतीक्षित था।

**6.11.2** धारा 11(1) के नीचे स्पष्टीकरण (2) यह प्रावधान करता है कि यदि, पिछले वर्ष में, भारत में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग की गई आय उस वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अधीन रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय के 85 प्रतिशत से कम हैं, या जैसा भी मामला हो, ट्रस्ट के अधीन अंश में रखी, किसी अन्य कारण के लिए किसी भी राशि, तब आय हो सकती, जब आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विकल्प पर, पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के उद्देश्य के लिए आय का उपयोग माना जाएगा जिसमें आय प्राप्त की गई थी और आय इस तरह के उद्देश्य के लिए उपयोग माना गया हो आय की राशि की गणना में ध्यान नहीं रखा जाएगा।

पीसीआईटी (ई), कोलकाता प्रभार में, नि.व. 2015-16 के लिए एक ट्रस्ट का निर्धारण धारा 143(3) के तहत 'शून्य' आय के साथ अगस्त 2017 में पूरा हुआ था। एओपी को धारा 10(23सी)(vi) के तहत पंजीकृत किया गया था जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना था इस प्रकार धारा 2(15) के तहत धर्मार्थ उद्देश्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अगले वर्ष में आवेदन के लिए आय के संचय के रूप में निर्धारिती को धारा 10(23सी) के तहत ₹ 126.97 करोड़ की छूट दी गई थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से ₹ 45.04 करोड़ के बजाय ₹ 151.47 करोड़ की आय के अधिशेष का उल्लेख किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 106.43 करोड़ की छूट की अधिक अनुमति पर ₹ 36.16 करोड़ का संभावित कर प्रभाव था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, गलती को अक्टूबर 2018 में धारा 154 के तहत सुधार लिया गया था।

**6.11.3** धारा 40(ए)(ii) में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यवसाय या पेशे के लाभों या प्राप्तियों पर लगाए गए किसी भी दर या कर के कारण भुगतान की गई कोई राशि या उसके अनुपात में निर्धारण किया गया है, या अन्यथा, किसी भी लाभ या प्राप्ति के आधार पर कटौती योग्य नहीं है।

सीआईटी (ई), मुम्बई प्रभार में, नि.व. 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट (कंपनी) में, निर्धारण अधिकारी ने छूट के लिए निर्धारिती के दावे का खंडन किया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने आय की गणना में स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) और अग्रिम कर के कारण ₹ 27.91 करोड़ की कटौती का

दावा किया गया। विभाग ने, कर योग्य आय की गणना करते हुए, पूर्वोक्त धारा के प्रावधान के कारण कर योग्य आय को उक्त में जोड़ने के बजाय कर योग्य आय से ₹ 27.91 करोड़ की उपरोक्त राशि कम कर दी थी। गलती से ₹ 18.97 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 55.82 करोड़ की आय के कम निर्धारण का परिणाम है। यदि, यह चूक की एक त्रुटि है, तो आयकर विभाग को सकल अक्षमता के लिए एओ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और यदि ऐसी त्रुटि भूल की है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था।

**6.11.4** सीआईटी (ई), बंगलुरु प्रभार में, नि.व. 2015-16 के लिए शैक्षणिक संस्थानों के संचालन की गतिविधि में लगे एक ट्रस्ट का निर्धारण, सितम्बर 2017 में ₹ 11.35 की आय के साथ पूरा हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने पिछले अतिरिक्त व्यय को आगे ले जाने को अनुमति नहीं देकर आदेश दिया। सीआईटी (ए) ने दिनांक 12.2.2018 के अपने आदेश के पैरा 5.2 और 5.3 में रिकॉर्डों के निर्धारण के साथ आंकड़ों के सत्यापन के बाद आय के उपयोग के रूप में पूर्ववती वर्षों के ₹ 58.99 करोड़ के अतिरिक्त व्यय (पहले के वर्षों से संबंधित) को आगे ले जाने की अनुमति देने के लिए एओ को निर्देश दिया। इसमें नि.व. 2009-10 से संबंधित ₹ 31.14 करोड़ का घाटा शामिल था। दिसम्बर 2016 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) और जनवरी 2018 में सीआईटी (ए) को दिए गए आदेश के तहत पारित किए गए नि.व. 2009-10 के लिए निर्धारण आदेशों से लेखापरीक्षा ने देखा कि आगे ले जाने के लिए कोई घाटा नहीं था। इस प्रकार, गलत सैटऑफ और ₹ 31.14 करोड़ के घाटे को आगे बढ़ाने के परिणामस्वरूप ₹ 10.58 करोड़ के संभावित कर प्रभाव का कम उद्ग्रहण हुआ।

**6.11.5** सीआईटी(ई), बंगलुरु प्रभार में, नि.व. 2014-15 और नि.व. 2015-16 के लिए एक ट्रस्ट के निर्धारण, क्रमशः ₹ 55.64 करोड़ और ₹ 54.16 करोड़ की हानि में पूरे हुए थे। निर्धारिती, सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया, अधिनियम की धारा 12एए के तहत पंजीकृत था। एओ ने धारा 13(8) के साथ पठित धारा 2(15) के कारण धारा 11 के तहत कटौती के दावे का खंडन किया और इसकी आय को सामान्य व्यावसायिक आय के रूप में कर के लिए लाया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि आय की गणना करते समय, व्यवसायिक आय के प्रावधानों को समग्रता में लागू नहीं किया गया था बल्कि धारा 11 के अनुसार आय को अपनाते हुए गणना की गई थी। गलती से नि.व. 2014-15 और नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 3.66 करोड़ और

₹ 16.78 करोड़ के संभावित कर सहित क्रमशः ₹ 8.23 करोड़ और ₹ 37.84 करोड़ की आय के कम निर्धारण का परिणाम है।

## 6.12 निष्कर्ष

वर्ष 2013 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 20 में पहले प्रदर्शित होने के बावजूद, लेखापरीक्षा में अभी भी अनियमितताओं के उदाहरण देखे जाते हैं

- आयकर विभाग ने संबंधित समूह ट्रस्टों/संस्थानों को ट्रस्टों द्वारा आय/सम्पत्ति के विपथन को आय का उपयोग माना गया,
- आयकर विभाग ने उन निर्धारितियों को छूट दी जिनकी गतिविधियां धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थी,
- आयकर विभाग ने उन ट्रस्टों के पंजीकरण को रद्द करने की कार्रवाई नहीं की है जिनकी गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ माना गया था,
- अधिनियम में निर्दिष्ट उन प्रारूपों या स्वरूपों के अलावा ट्रस्टों द्वारा संचित धन के निवेश की निगरानी करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर है; और
- आयकर विभाग ने निर्धारिती को छूट प्रदान की जहां विदेशी मुद्रा दान सहित स्वैच्छिक योगदान को दाता के विशिष्ट निर्देश के बिना कॉर्पस कोष के रूप में माना गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे ये उदाहरण देखे जाते हैं

- आयकर विभाग ने व्यय और संचय की अनुमति दी जहां छूट से मना किया गया था;
- नियमों के उल्लंघन में, आयकर विभाग ने धर्मार्थ आधार पर 1952 के बाद गठित ट्रस्ट को छूट दी यद्यपि निवेश एक विदेशी विश्वविद्यालय में किया था। उनके पास ऐसे आदेश की समीक्षा और पारित करने की शक्तियां नहीं थी; और
- आयकर विभाग का एएसटी अधिभार उदग्रहण करने में विफल रहा।

सीबीडीटी को, संसद में सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों के उल्लंघनों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा आवश्यक डाटा/जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। सीबीडीटी को न केवल उन मामलों की जो लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए हैं बल्कि अपवाद सभी ट्रस्टों के मामलों को समीक्षा करने की आवश्यकता है।

### 6.13 सिफारिशें

पीएसी ने “धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट” पर अपनी 27वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में शामिल समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी 104वीं रिपोर्ट में भी यह सुझाव दिया था कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अंतरालों के उपाय और भविष्य में पुनरावृत्ति को कैसे रोकें पर सिफारिशें दें। इसलिए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं।

- i. सीबीडीटी, छूट देने से पहले यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम में निर्धारित विभिन्न शर्तों का पालन ट्रस्टों द्वारा किया जाता है, और निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने वाले ट्रस्टों के पंजीकरण की समीक्षा की जाती है।
- ii. सीबीडीटी धर्मार्थ ट्रस्ट या संस्थान द्वारा विदेशी दान के लिए पूर्व अनुमोदन को एक पूर्व-शर्त बनाने के प्रावधान में संशोधित करने पर विचार कर सकता है। सीबीडीटी एक सीमा, जैसेकि इस तरह के दान के लिए आय की 5 से 10 प्रतिशत, भी निर्दिष्ट करे।
- iii. सीबीडीटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के मामलों में ट्रस्टी को भी उत्तरदायी बनाने के प्रावधान शामिल करने पर विचार करे।
- iv. धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों को छूट के लिए कुछ प्रावधानों यथा 1.4.1952 को या उसके बाद धारा 11(1)(सी), 30 नवम्बर 1983 के बाद धारा 13(1)(डी)(iii), 1.6.1973 से अनंतिम धारा 13(1)(डी)(iii) विशिष्ट तिथियों से हैं और अलग-अलग ट्रस्टों पर अलग तरीके से लागू होते हैं जिसे एक स्तर पर प्लेईंग क्षेत्र प्रदान नहीं करते हैं। सीबीडीटी उन ट्रस्टों पर लागू ऐसे प्रावधानों के लिए एक समापक उपनियम को सम्मिलित करते हुए एक स्तर के प्लेईंग क्षेत्र में लाने पर विचार कर सकता है, जिन कार्यों के आधार पर लाभ को बरकरार रखा है, जो अब निषिद्ध हैं, पहले लिया जा चुका है। ऐसे प्रावधानों के लिए एक समापक उपनियम सुनिश्चित करेगा कि अब हितलाभ किसी के लिए उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार, सभी प्रकार के ट्रस्टों और संस्थानों के साथ समान तरह से बर्ताव किया गया है। यह ट्रस्टों के निर्धारण में कठिनाईयों को कम करेगा, जब विभिन्न ट्रस्टों से विभिन्न प्रकार से बर्ताव होता है, और निर्धारण में त्रुटियों को कम करेगा। सीबीडीटी प्रभावित ट्रस्टों को नये प्रावधानों के साथ अनुपालन के लिए जैसेकि तीन वर्षों की एक अवधि देने पर विचार कर सकता है।

- v. चूँकि पिछली 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 20 में बताए गए मामले जारी हैं, अतः आयकर विभाग को बिना अपवाद के सभी ट्रस्ट मामलों की समीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया जाता है कि उनको अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट तथा रियायत की अनुमति दी गई है।
- vi. सीबीडीटी जांच करें कि क्या पाई गई गलतियां चूक अथवा भूल की हैं और यदि ये भूल की हैं, तो आयकर विभाग को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

